संख्या-76/2017/1836/22-2-2016-17(290)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री लालाराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबे0-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री लालाराम, निवासी ग्राम-ज्योनी, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश एवं मुकदमें बाजी के कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03-03-2000 को अपरान्ह लगभग 04:30 बजे तमंचों से गोली मारकर तथा गडासे से वारकर सत्यप्रकाश की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-626/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 16-01-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2016 तक 16 वर्ष 05 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 07 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है तथा बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 03 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 02-06-2014 में बन्दी के शारीरिक रूप से मजबूत होने, बन्दी के कारागार से मुक्त होने के पश्चात अपराध करने से विरत रहने की कोई सम्भावना प्रतीत न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संसतुति नहीं की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री लालाराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम नरेश (बन्दी संख्या-17324) पुत्र श्री लालाराम निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-76/2017/1836(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-76/2017/1636/22-2-2016-17(290)/2016

दिनांक 02 फरवरी, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री लालाराम, निवासी ग्राम-ज्योनी, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश एवं मुकदमें बाजी के कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03-03-2000 को अपरान्ह लगभग 04:30 बजे तमंचों से गोली मारकर तथा गडासे से वारकर सत्यप्रकाश की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-626/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 16-01-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2016 तक 16 वर्ष 05 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 07 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है तथा बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निररूद्ध है, 03 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 02-06-2014 में बन्दी शारीरिक रूप से मजबूत होने, बन्दी के कारागार से मुक्त होने के पश्चात अपराध करने से विरत रहने की कोई सम्भावना प्रतीत न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संसतुति नहीं की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री लालाराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।